P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-7* (Part-1) October- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

सफेदपोश अपराध (विशेषतः जमाखोरी, कालाबाजारी, एवं मिलावटखोरी)

राजेश बहुगुणा
प्राचार्य एवं डीन,
लॉ कालेज,देहरादून,
उत्तरांचल विश्वविद्यालय,
देहरादून

सुमेर चन्द रवि
शोध छात्र,
विधि विभाग,
उत्तरांचल विश्वविद्यालय,
देहरादून

सारांश

प्रस्तुत "सफेदपोश अपराध" नामक लेख की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में सफेदपोश अपराध की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति ई0एच0 सदरलैण्ड के विचार प्रस्तुत कर उनके द्वारा व्यक्त सफेदपोश अपराध के रूप में घटित असामाजिक गतिविधियाँ पूर्व से घटित होती आ रही आपराधिक गतिविधियों की भाँति अपराध नहीं मानी जाती, उनके ये विचार भी प्रस्तुत किये गये हैं। सन् 1872 में लन्दन में "अपराध निवारण तथा दमन" विषय पर आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस में एडविन एच0 हिल के "क्रिमिनल केपिटलिस्ट्स" शीर्षक के अन्तर्गत पढ़े गये शोध पत्र का एक परिचय भी प्रस्तुत किया गया है। तदुपरान्त लेख में "परिभाषा के अन्तर्गत समाज के सम्माननीय, प्रतिष्ठित, दूरदृष्टि तथा विवेकशीलता रखने वाले लोगों द्वारा स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था में की जाने वाली असामाजिक गतिविधियाँ रखी गयी हैं। इसके अतिरिक्त "सफेदपोश अपराध के विभिन्न स्वरूप" के अन्तर्गत यथा – नकली माल, कपट, दुव्यप्रर्दशन आदि प्रस्तुत कर बताया गया कि यह अपराध "आवश्यकता के लिये नहीं अपितु लोभ के लिये" किये जाते हैं।

मुख्य शब्द : सफेदपोश अपराध, जमाखोरी, कालाबाजारी, एवं मिलावटखोरी।

प्रस्तावना

भारत में व्यापारियों, उद्योगपतियों, ठेकेदारों, वस्तु की आपूर्ति करने वालों तथा लोक अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले सफेदपोश अपराधियों का "सन्थानम् समिति" द्वारा विस्तृत विवरण तथा "बोस जाँच आयोग" ने 1963 में जयंत समूह कम्पनी द्वारा तथा न्यायमूर्ति एम0सी0 छागला द्वारा उद्योगपति मूदड़ा तथा हर्षद मेहता द्वारा प्रतिभूति घोटाले को विशेष रूप से उल्लेख कर सफेदपोश अपराध भारत में किस सीमा तक फैले हैं इसे दर्शाया गया है। कालाबाजारी, जमाखोरी तथा मिलावटखोरी को स्वस्थ मानव जीवन के प्रति गम्भीरतम अपराध मानते हुए अभी तक के दाण्डिक प्रावधानों में संशोधन को अत्यावश्यक मानते हुए इस सम्बन्ध में "विधि आयोग की कड़ी सिफारिश" की जानकारी प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त सफेदपोश अपराधों के अतिरिक्त विदेशी आयात–निर्यात नियमों का उल्लंघन, करों की चोरी, विधि–व्यवसाय, अभियान्त्रिकी व्यवसाय, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार जगत में, चिकित्सा के क्षेत्र में क्रमवार घटित सफेदरपोश अपराधों की विभिन्न श्रेणियाँ प्रस्तुत कर खाद्य तथा पेय पदार्थों में तथा सीमेन्ट जैसी महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील वस्तु में मिलावटखोरी के दाण्डिक प्रावधानों में शिथिल अथवा कमजोर पड़ते भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों को संशोधन योग्य मानते हुए भारतीय दंड संहिता में आवश्यक संशोधन कर सशक्त बनाये जाने की आवश्यकता बताते हुए कम्प्यूटर से सम्बन्धित होने वाले साइबर अपराधों के अन्तर्गत होने वाले मनी लाउन्ड्रिंग जैसे प्रमुख सफेदपोश अपराध के निदान के उपायों के संदर्भ में भी भारतीय दंड संहिता के 3 संशोधित प्रावधानों के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। सफेदपोश अपराधों पर स्थायी नियंत्रण कड़े विधिक मानदंण्डों और मानव की नैतिक और ईमानदारी के सक्रिय सहयोग से ही संभव है। लेख के अन्त में यह भी आवश्यक समझा गया कि महान शिक्षाविद् और पूर्व राष्ट्रपति डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा उल्लिखित विचारों को जिनमें उन्होंने सफेदपोश अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा, यहाँ तक कि मृत्युदण्ड देकर भी एक स्वस्थ और समृद्धशाली भारत की कल्पना की है को भी प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत लेख का प्रमुख उद्देश्य कड़े दाण्डिक प्रावधानों और आम जनमानस के अप्रत्याशित सहयोग के बल पर भारत के अस्तित्व को अनगिनत हत्याओं के अप्रत्यक्ष जिम्मेदार सफेदपोश अपराधियों से अपराधरहित बनाना है।

अनेक व्यवसायों में कार्यरत कुछ व्यक्ति जनता के रोष के खतरे के बिना आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। ऐसे लोग नैतिकता या इमानदारी में विश्वास नहीं करते और बिना कोई खतरे के अपनी प्रच्छन्न आपराधिक गतिविधियाँ रखते हैं। इस प्रकार के आपराधिक संव्यवहारों को 'सफेदपोश अपराध कहते हैं और ये आवश्यक रूप से स्पार्धात्मक अर्थव्यवस्था की ही देन है ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

पहले व्यक्ति ई0एच0 सदरलैण्ड ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आपराधिक संसार में "सफेदपोश अपराध" की अवधारणा को ही स्थापित किया। उन्होंने जन साधारण को इस बात से भी अवगत कराया कि डकैती, हत्या, मारपीट, चोरी, अपहरण, बलात्कार आदि जैसे रूढ़िवादी (परम्परागत रूप से होते आ रहे) अपराधों के अलावा कुछ ऐसी असामाजिक गतिविधियाँ भी हैं जो कि बड़े व्यापारी लोग अपने व्यापार या व्यवसाय के अनुक्रम में करते हैं लेकिन इन्हें अपराध नहीं माना जाता है।[1]

सन् 1872 में लन्दन में "अपराध निवारण तथा दमन" पर आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस में एडविन एच0 हिल ने 'क्रिमिनल केपिटलिस्ट्स' शीर्षक से एक शोध पत्र पढ़कर इस प्रकार व्यापार जगत में सुसंगठित रूप से नित्य प्रति होने वाली अवैध आपराधिक गतिविधियों की ओर संकते करते हुए समाज पर इनके कुप्रभाव की चर्चा की थी। सफेदपोश अपराधों की व्यापकता और बहुलता की चर्चा करते हुए सदर लैण्ड ने कहा कि "इनके नित्य प्रति बार–बार घटित होने के बावजूद पुलिस सांख्यिकी में इनके होने का प्रमाण कदाचित ही मिलता है।"

परिभाषा

सफेदपोश अपराध की अवधारणा सबसे पहले प्रो0 सदरलैण्ड द्वारा सन् 1941 में की गई थी। उन्होंने कहा कि "समाज के सम्माननीय तथा प्रतिष्ठित प्रास्थिति के माने जाने वाले व्यक्तियों के द्वारा उनके व्यवसाय के दौरान किये गये अपराधों को सफेदपोश अपराध कहा जाना चाहिये। कुछ सफेदपोश अपराध ऐसे हैं जिन्हें उद्योगपति, निर्माता तथा अन्य उच्च वर्ग के लोग अपने व्यावसायिक लाभ कमाने की नीयत से प्रायः करते रहते हैं।"

सफेदपोश अपराधों का स्वरूप

इसके कारण समाज के इतने अधिक लोगों को हानि होती है कि वैयक्तिक दृष्टि से किसी एक व्यक्ति विशेष पर इसका प्रभाव नगण्य प्रायः होता है। इसी कारणवश इन अपराधों के प्रति समाज अधिक सचेत नहीं है और न इन अपराधों को करने वाले व्यक्ति के पकड़े जाने पर समाज में उनकी प्रतिष्ठा ही गिरती है। एक अन्य कारण अपराधियों को दण्ड से बचने का यह है कि नकली माल, कपट, दुर्व्यपदेशन आदि के क्रय–विक्रय के सम्बन्ध में "क्रेता सचेत" का सिद्धान्त लागू होता है जिसका अर्थ है कि कोई भी वस्तु क्रय करते समय क्रेता को पूरी सावधानी रखनी चाहिए तथा विक्रेता की बेईमानी से स्वयं को सुरक्षित रखना चाहिए।[2]

सफेदपोश अपराध प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा आवश्यकता के लिये नहीं बल्कि लोभ के कारण किये जाते हैं

कुछ विद्वानों का यह मत है कि सफेदपोश अपराध समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा आवश्यकता के लिये नहीं बल्कि लोभ के कारण किये जाते हैं।

अमेरिका में भी द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि "1939–1945" में राष्ट्रपति ट्रूमैन के समय मुद्रा सामग्री की खरीद से सम्बन्धित कुख्यात "फ्रेंडशिप रैकेटे" चर्चा का विषय रहा था जिसमें राष्ट्रपति ने निकटस्थ अधिकारियों के ठेकेदारों के साथ सांठ–गाँठ कर देश की आर्थिक व्यवस्था को चरमरा दिया था। ब्रूस केटन द्वारा लिखित "दि वार लाड्र्स ऑफ वांशिंगटन" में द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान देश के प्रति व्यापारियों की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का पर्दाफाश किया है। इन अपराधों में अर्न्तविशिष्ट गतिविधियों की अपराधियों की आपराधिकता तथा अनैतिकता में इतना कम अन्तर है कि इन्हें व्यापारिक या व्यावसायिक अनैतिकता के बजाए अपराध कहना कठिन होता है। सफेदपोश अपराधी बहुधा प्रज्ञावान, कुलीन, दूरदर्शी तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है जबकि हिंसा, अपराध सामान्यतः समाज के निम्नवर्गीय लोगों द्वारा किये जाते हैं।

भारत में सफेदपोश अपराध

इसमें संदेह नहीं कि सफेदपोश अपराध आज एक विश्वव्यापी समस्या बन चुकी है। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में आर्थिक और प्रौद्योगिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है जिसके कारण भारत में सफेदपोश अपराधों का अनुकूल वातावरण तैयार हुआ और अन्य देशों की भांति भारत में भी सफेदपोश अपराधों की निरन्तर वृद्धि हुई।[3]

संथानम् समिति

संथानम् समिति ने अपनी रिपोर्ट में व्यापारियों, उद्योगपतियों, ठेकेदारों, वस्तु की सप्लाई करने वालों तथा लोक अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले सफेदपोश अपराधियों एवं अपराधों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया है।

बोस जाँच आयोग

सन् 1963 में बोस जाँच आयोग द्वारा डालमिया जैन समूह कम्पनी के उद्योगपतियों द्वारा किये गये सफेदपोश अपराधों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया।

न्यायमूर्ति माननीय एम0सी0 छागला द्वारा उद्योगपति मूदड़ा द्वारा किये गये अवैध कार्य–कलापों एवं हर्षद मेहता द्वारा किये गये प्रतिभूति घोटाले में की गई जाँच पड़ताल से यह स्पष्ट विदित होता है कि भारत में सफेदपोश अपराध किस चरम सीमा तक पहुँच चुका है। इन प्रतिदिन होने वाले गम्भीर सफदेशपोश अपराधों का वर्णन नीचे दिया जा रहा है –

जमाखोरी, कालाबाजारी एवं मिलावटखोरी

प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक धन सम्पत्ति अर्जित करके अपने साथियों से आगे निकलना चाहता है। इस प्रयास में वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। वह ऐसी योजनायें बनाता है, जो कि सफेदपोश आपराधिकता के रूप में उजागर होकर सामने आती हैं।[4] जैसे –

जमाखोरी

व्यापारिक क्षेत्र के लोग अधिक धन कमाने की लालसा रखते हुए अधिक सम्पत्ति अर्जित करने की

योजना बनाते हैं। इसी योजना को क्रियान्वित एवं फलीभूत करने के लिए वह बाजार में उपलब्ध दैनिक और आम जीवन के उपयोग की वस्तुओं के होते हुए भी कृत्रिम रूप से इन वस्तुओं का अभाव जनता के सामने दिखाते हैं जिससे आम जनता भयभीत हो उठती है और वह अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए तुरन्त आनन–फानन में बिना कीमत की परवाह किये इन वस्तुओं की खरीददारी इस भय से कर लेते हैं कि न जाने कब तक इन दैनिक और आम जीवन के उपयोग में आने वाली वस्तुओं की कमी बनी रहे और इनकी उपलब्धता के विषय में एक आपात स्थिति बन जाये। ऐसा होने से व्यापारी कई गुना कीमतों पर वस्तुओं को चुपचाप बेचकर सीमा से अधिक धन लाभ के रूप में कमाते हैं जो कि एक सफेदपोश अपराध है जो दंडनीय है।

कालाबाजारी

व्यापारिक क्षेत्र के लोग वस्तुओं की मौलिकता के स्थान पर अमौलिक रूप से उनका आदान–प्रदान व्यापारिक स्तर पर करते हैं और लाभ के रूप में धन अर्जित करते हैं जबकि ग्राहकों को दी गई वस्तु मौलिक रूप से उपलब्ध होने के बजाय अमौलिक रूप से प्राप्त होती है लेकिन वे व्यापारियों के इस कालाबाजारी कृत्य के शिकार हो जाते हैं। व्यवसायिक क्षेत्र के लोग ऐसा करके सफेदपोश अपराध को जन्म देते हैं।

मिलावटखोरी

व्यापारिक क्षेत्र के लोग खाद्य व पेय पदार्थों तथा भवन निर्माण की प्रमुख सामग्री सीमेंट जैसी वस्तु में आवश्यकता से अधिक लाभ कमाने की पुरानी सोच के चलते शीघ्रतिशीघ्र असीमित सम्पत्ति अर्जित करने की योजना बनाते हैं और इस योजना को खाद्य एवं पेय पदार्थों तथा सीमेंट के अंदर मिली भगत करके मिलावट कर देते हैं जिससे पेय पदार्थों और खाद्य पदार्थों तथा सीमेंट की गुणवत्ता स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा के लिये लाभकारी न होकर अलाभकारी और जान लेवा हो जाती है लेकिन इन खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों तथा सीमेंट के उत्पादक एवं विक्रेता योजनाबद्ध तरीके से एकमत होकर इस अलाभकारी और जानलेवा योजना को फलीभूत करते हैं जो कि अप्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष रूप से जानलेवा अपराध हैं यही एक बड़ा सफेदपोश अपराध है।

विधि आयोग की कड़ी सजा दिये जाने की सिफारिश

मिलावट जैसे अवैध कृत्यों की रोकथाम के लिए भारत में विधि आयोग ने कड़ी सजा दिये जाने की सिफारिश की है क्योंकि इनके कारण जन सामान्य को अपूर्णीय हानि होती है।

सफेदपोश अपराध की गम्भीरता पर न्यायाधीशगण श्री बी0आर0 कृष्ण अय्यर, श्री डी0ए0 देसाई तथा चिन्नप्पा रेड्डी के सफेदपोश अपराधियों को दंडित किये जाने सम्बन्धी विचार[5] –

राजेन्द्र प्रसाद तथा बिशुन देव शा के वादों की सुनवाई के दौरान विशेष उल्लेखनीय हैं–

राजेन्द्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश के वाद में उच्चतम न्यायालय के समक्ष मृत्यु के दण्डादेश के विपरीत अपील विचारार्थ प्रस्तुत की गई थी। पहली अपील राजेन्द्र प्रसाद की थी। आजीवन कारावास की सजा काटने के बाद पारिवारिक बैर से प्रेरित होकर उसने दूसरी हत्या कर दी थी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशगण श्री बी0आर0 कृष्ण अय्यर और श्री डी0ए0 देसाई ने यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ता एक अति भयंकर और असाध्य अपराधी नहीं था। पूर्ववर्ती कारावास की सजा से उसका सुधार नहीं हो पाया था। जनता के लिए वह खतरनाक व्यक्ति नहीं है। उसने ऐसा कुछ भी प्रदर्शित नहीं किया कि वह चरित्र के बाहर हो चुका है, और न ही कुछ ऐसा भी प्रदर्शित हुआ है कि वह अपने सहमानव के प्रति हिंसक हो सकता है। मृत्युदण्ड देने के लिये उसके साथ कोई विशेष कारण भी सम्बद्ध नहीं है। इससे भी बड़ी बात यह है कि मृत्युदण्ड उसके सिर पर 1973 ईसवी से भी मण्डरा रहा है। अतः उसके मृत्यु के दण्डादेश को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया।

एक अपील बिशुन देव शा बनाम वेस्ट बंगाल के वाद में अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी पर चरित्रहीनता का संदेह होने पर उसकी हत्या कर दी थी और दण्ड को भोग लेने के बाद उसी पत्नी से उत्पन्न अपने पुत्र को इस संदेह पर जान से मार डाला था कि वह उससे उत्पन्न नहीं है। सेशन न्यायालय ने मृत्युदण्ड की सजा दी थी और उच्च न्यायालय ने इसकी पुष्टि की थी। उच्चतम न्यायालय ने उसकी अपील स्वीकार करके मृत्युदण्ड के स्थान पर आजीवन कारावास की सजा प्रदान की।

राजेन्द्र प्रसाद तथा बिशनु देव शा के उपर्युक्त प्रकरणों में न्यायालय ने केवल तीन प्रकार के अपराधियों को ही मृत्युदण्ड की अनिवार्यता व्यक्त की थी और अन्य प्रकार के समस्त अपराधियों को आजीवन कारावास की–

यह तीन प्रकार के अपराध जैसे –

सफेदपोश अपराध कर्मी

ऐसे अपराधी यदि अपने आर्थिक लाभ के लिये साशय खाद्य पदार्थों, दवाईयों, पेय पदार्थों, सीमेन्ट आदि में अपमिश्रण करके अनगिनत व्यक्तियों की हत्या करते हैं तो उन्हें मृत्युदण्ड दिया जाना चाहिए।

समाजद्रोही अपराध कर्मी

ऐसे अपराधी यदि अपने आपराधिक कार्यों से समाज की सुरक्षा और उसके अस्तित्व को खतरे में डालते हैं तो उन्हें मृत्युदण्ड दिया जाना चाहिए जैसे लूट के आशय से भरी यात्री गाड़ी को, बाढ़ से उफनती हुई नदी में गिराना, जिसके परिणाम स्वरूप अगनित निर्दोष और अबोध व्यक्ति पाल कवलित हो जायें।

घोर हत्यारे

यदि कोई व्यक्ति ऐसा घोर हत्यारा अथवा रक्त पिपासु बन गया है कि कारागार के भीतर और बाहर वह एक हिंसक पशु की भांति लोगों की हत्या करता रहता है, तो वह मृत्युदण्ड का एक उपयुक्त पात्र है।

उपरोक्त सफेदपोश अपराधों के अतिरिक्त

विभिन्न क्षेत्रों में उपरोक्त सफेदपोश अपराधों के अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में निम्नलिखित सफेदपोश अपराध घटित हो रहे हैं। ये सफेदपोश अपराध मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं–

विदेशी आयात–निर्यात सम्बन्धी विनियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से विदेशी मुद्रा कमाने की प्रवृत्ति सामान्यतः विदेशी आयात–निर्यात के व्यापार में लगे हुए व्यापारियों में प्रायः पायी जाती है।

करों की चोरी

कर वसूली से सम्बन्धित विभागों की मुख्य समस्या यह है कि इन व्यवसायियों की निश्चित आय के बारे में जानना कठिन होता है। भारतीय कराधान से सम्बन्धित विधियों की जटिलता के कारण करदाताओं को कर देने से बच निकलने या करों की चोरी के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। व्यापारियों, व्यावसायिक व्यक्तियों, डाक्टरों, इंजीनियरों, अधिवक्ताओं, ठेकेदारों, फिल्म जगत के नामी कलाकारों द्वारा करों की चोरी के मामले प्रायः सामने आते रहते हैं। सरकार अपनी तरफ से करों से सम्बन्धित कानूनों को प्रभावी बनाने के लिये प्रयत्नशील है परन्तु फिर भी करों की चोरी एक सामान्य बात हो चुकी है जिसे समाज भी इसे गंभीरता से नहीं लेता है।[6]

विधि व्यवसाय

विधि व्यवसाय के धंधे के विशिष्ट स्वरूप कें कारण उन्हें कठिन स्पर्धा में टिके रहने के लिये कभी–कभी अनियमितताओं का सहारा लेना पड़ता है लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि सभी विधि व्यवसायी अनाचारी एवं भ्रष्ट हैं। आज भी अधिकांश अधिवक्ता अपना व्यवसाय सच्चाई व इमानदारी से करते हैं तथा समाज में प्रतिष्ठा के पात्र बने हुए हैं। एक समय था जब विधि व्यवसाय को एक प्रतिष्ठित व्यवसाय माना जाता था, परन्तु वर्तमान परिवेश में भारत में विधि व्यवसायों की गरिमा इतनी घट गई है कि लोगों को विधि व्यवसायियों में विशेष आस्था नहीं रह गई है। [7]

अभियांत्रिकी व्यवसाय

इस व्यवसाय में कार्यरत कर्मचारी एवं अधिकारी अपने पद का अनुचित फायदा उठाते हुए निर्माण कार्य में लगे ठेकेदारों से मिली भगत करके अवैध रूप से धन कमाते हैं जो सफेदपोश के अन्तर्गत आता है। ठेकेदार बड़े–बड़े निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अधिकारियों को रिश्वत के रूप में बड़ी रकम देकर घटिया गुणवत्ता का माल प्रयोग में लाते हैं जिससे निर्माण कार्य निर्धारित स्तर का नहीं हो पाता है। इस प्रकार के घोटाले प्रायः समाचार पत्रों में देखने को मिलते हैं। [8]

शिक्षा के क्षेत्र में सफेदपोश अपराध

अनेक निजी शैक्षणिक संस्थाएँ धन अर्जन करने वाली व्यापारिक दुकानें बन गयी हैं जिन्होंने ऊपरी अधिकारियों से मिली भगत कर अपना अस्तित्व बनाये रखा है। भारत की कुछ शिक्षण संस्थाओं को छोड़ अधिकांश शिक्षण संस्थाओं ने और विशेषः प्राइवेट प्रबन्धकों द्वारा संचालित संस्थाओं में अनेक भ्रष्ट और अवैध तरीके अपनाये जाते हैं जो सफेदपोश अपराध के अन्तर्गत आते हैं। [9]

व्यापार जगत के सफेदपोश अपराध

व्यापार के क्षेत्र में सफेदपोश अपराध अत्यधिक व्याप्त हैं। न्यास भंग के प्रकार इसके उदाहरण हैं। सदर लैण्ड ने विभिन्न प्रतिष्ठित निगमों, व्यापार समूहों, प्रतिष्ठानों आदि का विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि इनके द्वारा व्यापार के अवरोध में संविदाओं या षडयंत्रों द्वारा अवैध रूप से लाभ कमाया जाता है और जन साधारण को इस बात का पता भी नहीं चल पाता है और न लोग इसमें विशेष रूचि ही दर्शाते हैं। [10]

चिकित्सा क्षेत्र में सफेदपोश अपराध

चिकित्सा व्यवसाय में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा मुफ्त में नमूने के रूप में प्राप्त की गई दवाईयों, इंजेक्शनों, टानिकों आदि को मरीजों को बेचा जाना कोई नई बात नहीं है। इसी प्रकार मरीजों के इलाज को जानबूझकर लम्बित रखकर अनेक चिकित्सक अपना धंधा बनाये रखते हैं तथा उनसे अधिक पैसा अर्जित करते हैं। मेडिकल व्यवसाय में झूठे मेडिकल बिल चिकित्सकों द्वारा प्रमाणित करवाकर अनेक शासकीय, अर्द्धशासकीय व अशासकीय कर्मचारी चिकित्सा व्यय का भुगतान करा लेते हैं। चिकित्सा व्यवसाय का स्वरूप ही कुछ ऐसा है इनमें अनुचित व अवैध रूप से पैसा कमाने की पर्याप्त अवसर रहते हैं। शासकीय आवश्यक सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को छुट्टी की किल्लत प्रायः बनी रहती है। इसके सहज उपाय के रूप में वे चिकित्सकों को निश्चित राशि देकर वांछित मेडिकल छुट्टी का उपयोग कर लेते हैं। सच तो यह है कि यह सफेदपोश अपराध का स्वरूप होते हुए इससे सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी के बारे में बड़ी राहत मिलती है और वे ले–देकर डाक्टरी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये स्वयं तैयार रहते हैं। इस प्रकार के झूठे विज्ञापन, श्रृंगार प्रसाधानों या खाद्य पेय सामग्री के बारे में निकलते हैं जिनका प्रयोग जन स्वास्थय के लिये हानिकारक होता है। जब तक इन अपराधों के विरूद्ध लोकमत तैयार नहीं किया जाता तब तक इनका निवारण संभव नहीं है।[11]

चिकित्सा क्षेत्र में सफेदपोश अपराध के प्रकार

चिकित्सा क्षेत्र में अनेक प्रकार के सफेदपोश अपराध होते हैं जैसे अवैध लैगिंग संभोग के परिणाम स्वरूप यदि कोई अविवाहिता गर्भधारण कर लेती है तो अपने कुकृत्य को छिपाने तथा बदनामी से बचने के लिए वह या उसके अभिभावक चिकित्सकों को बड़ी रकम देकर गर्भपात करवा लेते हैं। इस अवैध कार्य के लिए चिकित्सक के अलावा उसके अधीनस्थ कार्य करने वाले मैट्रन, नर्स, आदि का हिस्सा भी रहता है। यहाँ तक कि कुछ पेशेवर व्यक्ति अवैध गर्भपात कराने वालों की तलाश में एजेन्ट के रूप में कार्य करते हैं जो चिकित्सकों को ऐसे मामले दिलवाते रहते हैं। [12]

चिकित्सक द्वारा पूर्व निश्चित अपराधियों का इलाज

चोरी, डकैती या अन्य गंभीर अपराध करने वाले व्यक्ति अपराध के दौरान गंभीर चोट लगने पर अपने पूर्व निश्चित डाक्टर के पास जाकर उनसे अपना इलाज करवाते हैं जो उनके कृत्य को गुप्त रखता है और उसके बदले में उस अपराधी से बड़ी रकम ऐंठ लेता है।

औषधियों से सम्बन्धित अप्रमाणित विज्ञापन

औषधियों से सम्बन्धित विज्ञापनों के द्वारा भी अनेक लोग अवैध रूप से धन कमा रहे हैं। दूरदर्शन, रेडियो या समाचार पत्रों में अनेक दवाईयों से सम्बन्धित विज्ञापन झूठे तथा जनता को गुमराह करने वाले होते हैं।

इनमें से अनेक औषधियाँ घटिया किस्म की होती है जिनका कोई प्रभाव नहीं होता है।

चिकित्सकों द्वारा मानव अंगों का अवैध कारोबार

वर्तमान समय में चिकित्सकीय सफेदपोश अपराध में मानव अंगों का चिकित्सकों द्वारा अवैध कारोबार करना नेपाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किडनी किंग डॉ0 अजय कुमार सिंह इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं जिसमें स्वयं 300 किडनी को निकालने और बेचने की बात स्वीकार की है। अतः चिकित्सा के क्षेत्र में सफदेपोश अपराध को रोकने के लिये जनता की जागरूकता और सहयोग भी आवश्यक है।[13]

भारतीय दंड संहिता के सफेदपोश अपराध (विशेषकर स्वास्थ्यवर्धक औषधियों तथा पेय पदार्थों में मिलावटखोरी) में कमजोर पड़ते प्रावधान

भारतीय दंड संहिता में यद्यपि आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण कर विक्रय के अपराध में, अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय के अपराध में, औषधियों का अपमिश्रण करने के अपराध में, अपमिश्रित औषधियों का विक्रय करने के अपराध में और औषधि का भिन्न औषधि या निर्मित के तौर पर विक्रय करने के सफेदपोश अपराध में विभिन्न धाराओं में क्रमशः 272, 273, 274, 275, तथा 276 में दंड के प्रावधान निर्धारित किये गये हैं लेकिन ये सभी प्रावधान नितान्त निष्प्रभावी हैं जिनका इन सभी उपरोक्त अपराधों को जो कि सफेदपोश अपराध की श्रेणी में आते हैं को करने वाले निरंकुश हैं। इन अपराधों के दंड के प्रावधानों को हम उदाहरण स्वरूप निम्नलिखित रूप में विस्तारित कर प्रस्तुत कर सकते हैं –

विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण के सफेदपोश अपराध में दण्ड का प्रावधान धारा 272

जो कोई किसी खाने या पीने की वस्तु को इस आशय से कि वह ऐसी वस्तु को खाद्य या पेय के रूप में बेचे या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में बेची जायेगी ऐसे अपमिश्रित करेगा कि ऐसी वस्तु खाद्य या पेय के रूप में अपायकर बन जाये, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो 1000/– रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जायेगा।

अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय सम्बन्धी सफेदपोश अपराध में दण्ड का प्रावधान धारा 273

जो कोई किसी ऐसी वस्तु को जो अपायकर कर दी गई हो या हो गई हो या खाने–पीने के लिये अनुपुयक्त दशा में हो, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में अपायकर है, खाद्य या पेय के रूप में बेचेगा, या बेचने की प्रस्थापना करेगा या बेचने के लिए अभिदर्षित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो 1000/– रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जायेगा।

औषधियों का अपमिश्रण करने सम्बन्धी सफेदपोश अपराध में दण्ड का प्रावधान धारा 274

जो कोई किसी औषधि या भेषजीय निर्मित में अपमिश्रण इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह किसी औषधीय प्रयोजन के लिए ऐसे बेची जायेगी या उपयोग की जायेगी, मानो उसमें ऐसा अपमिश्रण न हुआ हो, ऐसे प्रकार से करेगा कि उस औषधि या भेषजीय निर्मित की प्रभावकारिता कम हो जाए, क्रिया बदल जाए या वह अपायकर हो जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जायेगा।

अपमिश्रित औषधियों का विक्रय सम्बन्धी सफेदपोश अपराध में दण्ड का प्रावधान धारा 275

जो कोई यह जानते हुए कि किसी औषधि या भेषजीय निर्मित में इस प्रकार से अपमिश्रण किया गया है कि उसकी प्रभावकारिता कम हो गई या उसकी क्रिया बदल गई है या वह अपायकर बन गई है, उसे बेचेगा या बेचने की प्रस्थापना करेगा या बेचने के लिए अभिदर्षित करेगा या किसी औषधालय से औषधीय प्रयोजनों के लिए उसे अनपमिश्रित के तौर पर देगा या उसका अपमिश्रित होना न जानने वाले व्यक्ति द्वारा औषधीय प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1000 रूपये तक हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जायेगा।

औषधी का भिन्न औषधि या निर्मित के तौर पर विक्रय सम्बन्धी सफेदपोश अपराध में दण्ड का प्रावधान धारा 276

जो कोई किसी औषधि या भेषजीय निर्मित को, भिन्न औषधि या भेषजीय निर्मित के तौर पर जानते हुए बेचेगा या बेचने की प्रस्थापना करेगा या बेचने के लिए अभिदर्षित करेगा या औषधिय प्रायोजनों के लिए औषधालय को देगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो 1000/– रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जायेगा।

इस प्रकार भारतीय दंड संहिता में उपरोक्त सफेदपोश अपराधों के लिए स्थापित दंड व्यवस्था निष्प्रभावी तो है ही आज के वर्तमान दौर में बढ़ते हुए सफेदपोश अपराधों के युग में एक हास्यास्पद प्रतीत होने लगे हैं। अतः भारतीय दंड संहिता में सफेदपोश अपराधों के लिए परिवर्तन कर कड़े दंड विधान की व्यवस्था की मांग उठना स्वाभाविक और आवश्यक है।

भारत सरकार द्वारा प्रसवपूर्व लिंग परीक्षण पर सन् 1994 में विशेष विधि पारित

भारत सरकार द्वारा सन् 1994 में विशेष विधि पारित करके प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण पर पूर्ण रोक लगा दी दिये जाने पर भी "पुत्र" की चाहत में अनेक विवाहित युगल चिकित्सक से सांठ–गांठ कर प्रसव पूर्व गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण करा लेते हैं और पुत्री होने की दशा में अवैध तरीके से गर्भपात करा लेने से भी नहीं चुकते हैं। इसमें चिकित्सक अपने ग्राहक से मोटी रकम ले लेते हैं। यद्यपि यह एक दंडनीय अपराध है फिर भी इसे केवल कानून द्वारा रोकना संभव नहीं है जबकि सदियों से चली आ रही यह मान्यता समाज से पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाती कि बेटी माता–पिता पर बोझ होती है। यह भी सफेदपोश अपराध का ही एक रूप है।

चिकित्सा जगत में व्याप्त इन अवैध अपराधों को देखते हुए यह प्रश्न उठना स्वभाविक ही है कि प्रायः सभी को इनकी जानकारी होते हुए भी इन्हें क्यों नहीं रोका जा सकता है। इस संदर्भ में केवल इतना उल्लेख कर देना पर्याप्त होगा कि इन सफेदपोश अपराधों में अपराधी के बजाय अपकारित व्यक्ति का ही हित अधिक होने के कारण इनका पर्दाफाश होना प्रायः असंभव है तथा केवल इन्हें नैतिक या विधिक बन्धनों से समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक समाज का प्रत्येक सदस्य अपना कर्तव्य समझकर स्वेच्छा से इनका बहिष्कार नहीं करते।

कम्प्यूटर से संबंधित सफेदपोश अपराध

21वीं सदी में सूचना प्रौद्योगिकी क्रान्ति के फलस्वरूप कम्प्यूटर, दूरसंचार, इलेक्ट्रिोनिक मीडिया के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई तथा साथ ही साथ साइबर अपराध रूपी नया सफेदपोश अपराध भी विकसित हुआ। दिनोंदिन निरन्तर बढ़ते हुए साइबर अपराधों ने एक विश्वव्यापी समस्या व अपराधों का रूप धारण कर लिया है जिनके निवारण हेतु प्रायः सभी देश प्रयत्नरत हैं। विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों में दूरसंचार सेवाओं की चोरी, औद्योगिक जासूसी, अश्लील लैंगिक सामग्री का प्रसारण, इंटरनेट पर धनराशि की धोखाधडी, बैकिंग सेवा का दुरूपयोग, दूरसंचार में अवैध हस्तक्षेप आदि विशेष उल्लेखनीय है। इससे यह स्पष्ट है कि यह आवश्यक नहीं कि सभी साइबर अपराध सफेदपोश अपराध हों। इनमें से कुछ विशिष्ट अपराध ही सफेदपोश अपराध कहे जाते हैं।[14]

वर्तमान समय में साइबर अपराधों की बाढ़ आ गई है। अनेक प्रकार के कम्प्यूटर वायरस तैयार किये जाने के परिणाम स्वरूप साफ्टवेयर के लिये एक गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। वर्तमान में 5000 से अधिक वायरस अस्तित्व में हैं जिनके कारण इंटरनेट बेवसाईटस को अपूर्णीय क्षति हो रही है। वायरस के अलावा कुछ अन्य प्रकार के साइबर अपराधों का भी उदय हुआ है जिनमें –

1. स्टालकिंग जिसमें अनिच्छुक व्यक्ति को लगातार वाहियात संदेश भेजे जाते हैं जिससे उसे संत्रास हो जाता है इससे व्यक्ति के एकांतता (निजता) के अधिकार का उल्लंघन होता है।
2. डाटा डिलिटिंग जिसके द्वारा उपलब्ध डाटा को इस प्रकार मिटाया या सूक्ष्म रूप से परिवर्तित किया जाता है ताकि उसे पुनः वापस न लाया जा सके।
3. हैकर्स – इसके द्वारा व्यक्ति के प्रोगाम सिस्टमस का अवैध रूप से शोषण करते हैं और पूरे कार्यक्रम को तहस–नहस कर देते हैं।
4. फिकरिंग – फिकरिंग अपराध वह साइबर अपराध है जिसमें टेलीफोन बिलों में कम्प्यूटर से हेराफेरी करके बिना मूल्य चुकाये कहीं भी फोन कॉल करके अवैध लाभ उठाया जाता है।
5. मनी लाउन्ड्रिंग – उपरोक्त के अलावा वित्तीय घोटाले, अवैध मादक पदार्थों, हथियारों का विक्रय, आतंकवादी गतिविधियां आदि से प्राप्त अवैध धन को मनी लाउड्रिंग द्वारा वैध रूप में परिवर्तित किये जाने का प्रयास किया जाता है ताकि उस धन के सर्जन के वास्तविक स्रोत का पता न लगे और वह कानून की पकड़ में न आने पाये।

साइबर अपराध के अन्य कई प्रकार [15]

1. वित्तीय अपराध 2. बौद्धिक सम्पदा अपराध 3. साइबर मानहानि 4. साइबर कूटरचना, 5. ऑनलाईन जुआ 6. ई–मेल बमबाजी 7. अवैध वस्तुओं का विक्रय, 8.साइबर अश्लील लेखन 9. ई–मेल स्पूफिंग 10. ट्रोजन्स 11. की–लागर्स, 12. ई–मेल कपट 13. वेब जैकिंग, 14. सलामी आक्रमण 15. सेवा से इंकार आक्रमण 16. वायरस/वार्म आक्रमण 17. वेब डिफेसमेंट 18. इन्टरनेट टाइम चोरी 19. साइबर आतंकवाद।

मनी लाउन्ड्रिंग समस्या निवारण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समझौते

साइबर अपराध के रूप में मनी लाउन्ड्रिंग की समस्या विश्वव्यापी है अतः इसके निवारण के लिये सभी देशों का सक्रिय सहयोग होना परम आवश्यक है। इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक समझौते किये गये हैं जिनमें [16]–

1. वियना समझौता 1988
2. काउंसिल आफ यूरोपियन कन्वेंशन ऑन मनी–लाउड्रिंग 1990
3. यूरोपियन यूनियन मनी लाउड्रिंग निर्देश 1996 आदि विशेष उल्लेखनीय हैं।

इन समझौतों द्वारा सदस्य देशों से अनुरोध किया गया है कि वे संदेहास्पद वित्तीय अन्तरणों के बारे में एक दूसरे को यथा संभव सूचना देते रहें ताकि मनी लाउन्ड्रिंग पर विशेष रूप से जी–9 देशों ने अपने आर्थिक शिखर सम्मेलन 1989 में 24 देशों की सहमति से एक वित्तीय एक्शन टॉस्क फोर्स का गठन किया जिसके तीन प्रमुख कार्य हैं –

1. मनी लाड्रिंग के विरूद्ध निवारक उपाय करना तथा इस पर निगरानी रखना।
2. साइबर अपराधियों द्वारा अपनाये जा रहे मनी लाउन्ड्रिंग के विभिन्न तरीकों का विश्लेषण उन्हें कारगर विधिक उपाय सुझाना।
3. गैर सदस्य देशों को मनी लाउन्ड्रिंग के खतरों से अवगत कराते हुए उन्हें संगठन में शामिल होने के लिए प्रेरित करना।

भारत में संसद के पटल पर मनी लाउन्ड्रिंग विधेयक

भारत में मनी लाउन्ड्रिंग विधेयक संसद के पटल पर दिनांक 29 अक्टूबर 1999 को रखा गया था जिसे मनी लाउन्ड्रिंग अधिनियम 2002 के रूप में लागू किया गया है। तथापि कम्प्यूटर विज्ञान की प्रगति के साथ–साथ इस अपराध के निवारण हेतु अन्य कानूनों के माध्यम से भी पहल की जा रही है जिसमें सूचना प्रौद्योगिक 2000 भारतीय दंड संहिता तथा बौधिक सम्पदा कानून आदि का महत्वपूर्ण योगदान है।[17]

भारत में साइबर अपराधों को रोकने हेतु सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम 2000 पारित किया गया इस तरह भारत साइबर लॉ बनाने वाला विश्व में 12वां देश बन गया है। इसके अलावा देश में साइबर क्राइम और साइबर अपराधियों पर नियंत्रण रखने हेतु विख्यात अधिवक्ता नारीमन के निर्देश में एक समिति पर गठित की जिसमें

समय–समय पर साइबर अपराध के सम्बन्ध सरकार को सुझाव दिया। इस समिति ने एक नया कम्प्यूनिकेशन वर्जिन बिल संसद में पेश किया जो सूचना प्रौद्योगिक दूर संचार एवं केबल नेटवर्क को जोड कर बनाया गया है इससे साइबर अपराध को काफी हद तक रोका जा सकेगा।

आदर्श साइबर अपराध निरोधक कानून

इन साइबर अपराधों से निपटने के लिये विश्व स्तर पर एक आदर्श साइबर अपराध निरोधक कानून तैयार किये जाने का प्रयास किया गया है ताकि इन्हें प्रभावी ढंग से रोका जा सके।

कम्पयूटर द्वारा जो सफेद पोश अपराध हो रहे हैं उसमें कम्प्यूटर के दुरूपयोग किया जाने वाला मनी लांड्रिंग अर्थात् मुद्रा के धोखाधडी या अफरातफरी की घटनायें प्रायः घट रही हैं। यह एक ऐसा साइबर अपराध है जिसमें अपराधी किसी अन्य की मुद्रा जो पारगमन में है स्वयं कम्प्यूटर का प्रयोग करके डाउनलोड कर लेता है।

सफेदपोश अपराधों में वृद्धि के कारण

भारत में निरन्तर बढ़ती हुई सफेदपोश अपराधों में असाधारण वृद्धि हुई है जिसके अनेक कारण हैं तथापि इन कारणों में सबसे प्रबल कारण वर्तमान समय में विश्वव्यापी आर्थिक एवं औद्योगिक प्रगति ही है। सभी विकासशील एवं विकसित देशों की समाज व्यवस्था में आमूल सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन हुए हैं तथा धन सम्पदा में अभिवृद्धि हुई है जिसके कारण सफेदपोश अपराधों के लिये अवसर बढ़े हैं। ये इन अपराधों में संलिप्त व्यक्ति इतने प्रभावशील व्यक्ति होते हैं कि अपना व्यवसाय या कारोबार अवैध गतिविधियों के साथ बड़ी होशियारी से चलाते रहते हैं और अपकारित व्यक्ति को पता भी नहीं लगता है कि उसका शोषण हो रहा है कि उसे हानि हुई है। जनता के सामान्य व्यक्ति भी इन्हें पकड़वाने के प्रयास में नहीं पड़ना चाहते हैं क्योंकि वे इनके प्रभाव को भली भांति जानते हैं।[18]

इन अपराधों के विषय में एक धारणा यह भी है कि आपराधिक न्याय प्रशासन को सम्बद्ध प्राधिकारी तथा न्यायधीशगण स्वयं समाज के प्रतिष्ठित सदस्य होने के नाते सफेदपोश अपराधियों के प्रति उदारता बरतते हैं क्योंकि इन मामलों में आपराधिकता और नैतिकता के बीच सीमा रेखा बहुत पतली होती है इसलिये अपराध प्रायः सिद्ध नहीं हो पाता है।

सफेदपोश अपराध और रूढ़िगत अपराधों में अंतर

इस कथन की सत्यता इस बात से सिद्ध हो जाती है कि अन्य सामान्य अपराधियों की तुलना में सफेदपोश अपराधी अधिक बुद्धिमान, स्थिर चित्त, विवेकशील तथा उच्च सामाजिक वर्ग के होते हैं। वे आज के प्रतिष्ठित वर्ग के दूरदर्शी व्यक्ति होते हैं।[19] सफेदपोश अपराधों का स्वरूप परोक्ष तथा अवैयक्तिक प्रकार का होने के कारण इनका पता लगाना मुश्किल होता है। इसके विपरीत सामान्य रूढ़िगत अपराध प्रत्यक्ष रूप में होते हैं तथा उनमें मारपीट, बलप्रयोग, सम्पत्ति का अंतरण आदि जैसा कोई भौतिक कृत्य अन्तर्विष्ट होता है जिसका सरलता से अभिज्ञान हो सकता है तथा पता लग सकता है। रूढ़िगत अपराधों के बारे में सामान्य धारणा यह भी है कि ये प्रायः सुविधारहित व्यक्तियों द्वारा ही किये जाते हैं जबकि सफेदपोश अपराध अधिकतर समाज के प्रतिष्ठित वर्ग द्वारा अपने व्यवसाय के अनुक्रम में किये जाते हैं।

सफेदपोश अपराधों पर नियंत्रण के लिए पारित आवश्यक अधिनियम

भारत सरकार द्वारा सफेदपोश अपराधों पर नियंत्रण के लिए अनेक आवश्यक अधिनियम पारित किये हैं जो निम्नलिखित हैं –

1. आवश्यक वस्तु अधिनियम व आवश्यक वस्तु पर (संशोधन) अधिनियम 1993
2. औद्योगिक (विकास एवं विनिमय) अधिनियम 1951
3. आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1947
4. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947
5. विदेशी मुद्रा (विनिमय) अधिनियम 1974
6. कम्पनी अधिनियम 1956
7. उपभोक्ता संरक्षण नियम 1986 आदि।

फिर भी इनके उल्लंघन के परिणाम स्वरूप यह अपराध प्रायः होते रहते हैं। इनमें से अधिकांशतः कानून के दायरे में ही घटित होने के कारण इनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही व्यर्थ साबित होती है।

सफेदपोश अपराधों की रोकथाम के संभावित प्रभावी उपाय

सफेदपोश अपराधों की रोकथाम के लिए यद्यपि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त 7 महत्वपूर्ण अधिनियम पारित कर दिये गये हैं [20] तथापि भारत जैसे विशाल देश में जहाँ अधिकांश लोग अशिक्षित और गरीबी से पीड़ित हैं अपराधों का बाहुल्य होना स्वाभाविक ही है। अतः आपराधिक न्याय प्रशासकों के लिए अपराध निवारण विशेषः सफेदपोश अपराधों का निवारण एक विकट समस्या बनी हुई है। अतः सफेदपोश अपराधों की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय प्रभावी हो सकते। [21]

1. सफेदपोश अपराधियों को कारावास का दण्ड देने के बावजूद कठोर अर्थदण्ड देना उचित होगा जो वास्तविक हानि से कई गुना अधिक हो।
2. सफेदपोश अपराधों की सुनवाई और विचारण के लिये विशेष अधिकरण गठित किये जाने चाहिये जिन्हें न्यूनतम से न्यूनतम पाँच वर्ष तक की सजा देने की अधिकारिता प्राप्त हो।
3. भारत में हमेशा बढ़ती हुई आपराधिकता को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्रीय अपराध निवारण आयोग का गठन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है जो अपराध और अपराधियों से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं का सर्वेक्षण करता रहे और जिन पर नियंत्रण के प्रभावी उपचारात्मक उपाय सुझाता रहे।
4. इन अपराधों का निवारण करने के लिये सख्त कानूनी प्रावधान व दंड की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोग इन अपराधों को करने से डरें और परावृत्त रहें।
5. इसके लिये वर्तमान दंड विधि में संशोधन करना अति आवश्यक होगा। इसके पूर्व सफेदपोश अपराध की निश्चित विधिक परिभाषा करना नितांत जरूरी है।
6. प्रचार–प्रसार माध्यमों के द्वारा जनता में इन अपराधों के प्रति लोक चेतना जागृत करना जरूरी है। यह कार्य विधिक साक्षरता अभियान द्वारा अधिक अच्छी

तरह सम्पन्न हो सकता है। इसके लिये टी0वी0 फिल्म, रंगमंच आदि आडोविजुअल माध्यमों का प्रयोग भी किया जा सकता है। इनके द्वारा लोगों को सफेदपोश अपराध के गंभीर परिणामों से अवगत कराया जा सकता है ताकि वे इनसे दूर रहें और इन्हें करने वालों का बहिष्कार करें।

7. यह कह देना उचित होगा कि सफेदपोश अपराध विरोधी अभियान में जनता की दक्षता संभवतः सबसे अधिक प्रभावकारी सिद्ध होगी। जब तक जनता इन अपराधों के प्रति रोष और तिरस्कार नहीं दर्शाती तब तक सफेदपोश अपराधों का निवारण कठिन है। यह कार्य शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा नैतिक आचरण तथा निर्माण पर बल देकर किया जा सकता है।
8. प्रचार–प्रसार के माध्यमों द्वारा जनता में इन अपराधों के प्रति लोक चेतना जागृत करना आवश्यक है। यह कार्य विधिक साक्षरता अभियान द्वारा अधिक अच्छी तरह सम्पन्न हो सकता है।
9. इन अपराधों के निवारण हेतु कठोर कानूनी प्राविधान रखे जाने चाहिए तथा गंभीरतम दंड की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोग इन अपराधों को करने से डरें और इनसे परावृत्त रहें। इन अपराधों के लिए ऐसे विधायन भी उचित एवं वैध माने जायें जो भूतलक्षित प्रभाव रखते हों।
10. भारतीय दंड संहिता में सफेदपोश अपराध शीर्षक का एक नया अध्याय जोड़ा जाना चाहिए ताकि इन अपराधों में लिप्त अपराधी सामान्य अपराधी की भाँति दंडित किये जा सकें। इसके लिए वर्तमान दंड विधि में संशोधन करना आवश्यक होगा।

अतः इस कार्य में पाठशालायें आदर्श भूमिका निभा सकती हैं। आज का बालक कल का सजग नागरिक होगा। अतः यदि बचपन से ही उचित शिक्षा द्वारा बालक–बालिकाओं में अच्छे नागरिक के गुण विकसित किये जायें तो निःसंदेह ही आगे चलकर ये बच्चे आदर्श नागरिक बनेंगे और आने वाली पीढ़ी में आपराधिकता की प्रवृत्ति स्वंयमेव कम होती जायेगी।

सफेदपोश अपराध को मृत्युदण्ड की अत्यावश्यकता बताया न्यायधीगण ने–

माननीय न्यायधीशगणों ने राजेन्द्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश तथा विशुन देव शा के दोनों वादों में सुनवाई के दौरान मृत्युदण्ड अत्यावशक रूप से जिस प्रकार के अपराधों में दिया जाना अत्यावश्यक समझा वे अपराध उन्होंने सकारण निम्न तीन प्रकार के बताये –

1. सफेदपोश अपराधकर्मी 2. समाजद्रोही अपराधकर्मी 3. घोर हत्यारे।

न्यायधीशगण सर्वश्री न्यायमूर्ति बी0आर0 कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति डी0ए0 देसाई तथा न्यायमूर्ति चिन्नपा रेड्डी ने उपरोक्त तीनों श्रेणी के अपराधकार्मियों को अनगिनत हत्याओं का दोषी माना। मसलन सफेदपोश अपराधी जब खाद्य पदार्थों, दवाईयों, पेय पदार्थों में मिलावट कर सफेदपोश अपराध करते हैं तो वे हृदय रोग, गुर्दा रोग, मस्तिष्क के असाध्य रोगों तथा कैंसर जैसे असाध्य और जीवन लेवा बीमारियों को जन्मित कर अनगिनत मौतों के जिम्मेदार होते हैं, यही नहीं सीमेन्ट जैसी महत्वपूर्ण वस्तु में मिलावट कर उसकी गुणवत्ता को इस सीमा तक प्रभावित करते हैं कि खड़ी–खड़ी इमारतें भर–भराकर गिर जाती हैं, और उनके मलवे में दबकर सैकडों और हजारों मानव जीवन असामयिक मृत्यु के आगोश में समा जाते हैं। अतः उन्होंने सफेदपोश अपराधियों को दन्ड के किसी अन्य विकल्प का पात्र न मानते हुए मात्र मृत्युदण्ड का ही पात्र माना। स्पष्ट है न्यायमूर्तिगण द्वारा समाज द्रोह के अपराधियों तथा घोर अपराध की श्रेणी के अपराधियों से कम श्रेणी का अपराधी सफेदपोश अपराधियों को नहीं माना जिन्हें उन्होंने केवल मृत्युदण्ड का पात्र समझा, न कि मृत्युदण्ड के वैकल्पिक दंड, आजीवन कारावास का। अतः सिद्ध है कि सफेदपोश अपराधियों के विषय में न्यायधीशगणों की न्यायालय की सीमा में की गई सिफारिश को भारतीय दंड संहिता में आवश्यक संशोधन कर गंभीरतापूर्वक लेते हुए उसे स्वीकार किया जाये, क्योंकि सफेदपोश अपराधों के लिए समय–समय पर पारित विशेष अधिनियमों जिनमें विशेषकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1993, औद्योगिक (विकास एवं विनिमय) अधिनियम 1951, आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1947, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1974, कम्पनी अधिनियम 1956, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों विशेषकर स्वास्थ्यवर्धक औषधियों तथा पेय पदार्थों में मिलावटखोरी में कमजोर पड़ते प्रावधानों को पुनः धारा 272, धारा 273 धारा 274, धारा 275 और धारा 276 को और सशक्त रूप से प्रभावी किया जाये।

आदर्श साबइर अपराध निरोधक कानून प्रभावी किया जाना

साइबर अपराधों की श्रेणी में आने वाले सबसे गंभीर अपराध मनी लाउन्ड्रिग के संदर्भ में, काउंसिल ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन ऑन मनी–लाउन्ड्रिंग 1990, वियना समझौता 1988 और यूरोपियन यूनियन मनी लाउन्ड्रिंग निर्देश 1996 आदि विशेष रूप से प्रभावी किये जायें तथा भारत में संसद के पटल पर मनी लाउन्ड्रिंग विधेयक 1999 तथा सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम 2000 भारतीय दंड संहिता तथा बौद्धिक सम्पदा कानून (जिनका मनी लाउन्ड्रिंग समस्या के निष्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है) को पुनर्प्रभावी किया जाये, सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम 2000 पारित किये जाने के कारण ही भारत साइबर लॉ बनाने वाला विश्व का 12वाँ देश बना। अतः इस महत्व को समझते हुए इस ओर कम्युनिकेशन वर्जिन बिल जो संसद में पूर्व में प्रेषित किया गया उस पर और अधिक गंभीरता अपनायी जाये, ऐसे में आदर्श साइबर अपराध निरोधक कानून को प्रभावी किया जाये।

सफेदपोश अपराधों का समूल निदान कड़े दाण्डिक प्रावधानों तथा जनमानस की दक्षता की सक्रिय सहभागिता का निरन्तर बना रहना

विश्व व्यापी आर्थिक एवं प्रौद्योगिक प्रगति के कारण सभी विकासशील एवं विकसित देशों की व्यवस्था में साइबर अपराधों का बढ़ना स्वभाविक है। अतः इन्हें मात्र न्यायधीशगण तथा भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों को ही प्रभावी बनाकर रोका व थामा जाना संभव नहीं है। न ही अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों को ही एकमात्र इनका उपचार मानते हुए इनका निदान होना संभव है।

आम जनमानस जिनको इन अपराधों को करने वाले व्यक्तियों और प्रक्रिया का पर्याप्त सीमा तक ज्ञान है वे योगदान करें तभी अप्रत्याशित रूप से सफेदपोश अपराधों में रूकावट और व्यवधान आने के पश्चात् उनका निदान संभव है। यद्यपि उपचारात्मक दृष्टिकोण से लगभग 7 महत्वपूर्ण अधिनियम तथा अन्य व्यवस्थायें लेख में प्रस्तुत की गई हैं तथापि संभावित प्रभावी उपायों के रूप में भी लगभग 10 बिन्दु सफेदपोश अपराधों के निस्तारण के रूप में दिये गये हैं जो सफेदपोश अपराधों को रोकने और उनमें अप्रत्याशित रूप से कमी लाने के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं।

लोकपाल एवं लोकायुक्त की आवश्यक रूप से नियुक्ति होना

सरकार सफेदपोश अपराधों के प्रति चिन्तित हैं और इनके निवारण के लिये आवश्यक कदम उठा रही है। लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति के परिणाम स्वरूप राजनीतिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाना संभव हो सकेगा। समाज में व्याप्त राजनैतिक सफेदपोश अपराधों पर कड़े नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर आवश्यक रूप से लोकपाल तथा लोकायुक्त की नियुक्ति आवश्यक रूप से हो ऐसा भी हम एक महत्वपूर्ण उद्देश्य मानते हैं।

आमजन की ईमानदारी और नैतिकता का ह्रास रोकना भी बड़ा उद्देश्य

समाज के प्रतिष्ठित अथवा सम्मानित प्रास्थिति के उद्योगपति, निर्माता, उच्च वर्गीय, दूरदर्शी विशिष्टता रखने वाले लोगों में ईमानदारी और नैतिकता के ह्रास के चलते प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था ही सफेदपोश अपराध की परिणिति है। आम जनमानस इन सफेदपोश अपराधियों की सम्मान, प्रतिष्ठा तथा उच्च कुलीन पृष्ठभूमि के आगे स्वयं को इनके विरूद्ध बौना देखते हुए टिकता नहीं देखते हैं। लेकिन फिर भी समाज तथा राष्ट्र हित में, उपरोक्त वर्ग के लोगों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अनगिनत हत्यायें कर दिये जाने के सफेदपोश अपराध करने के जिम्मेदार अपराधियों के विरूद्ध स्वभाविक रूप से आम जनमानस को ईमानदारी व पूर्ण नैतिकता के साथ खड़ा करने का भी हमारा उद्देश्य है।

सुझाव एवं प्रमुख उद्देश्य

विशेषकर जमाखोरी, कालाबाजारी एवं मिलावटखोरी जैसे सफेदपोश अपराध सहित ऐसे ही गंभीर सफेदपोश अपराध जिनकी समाज में अप्रत्याशित रूप से दस्तक हुई है को युद्ध स्तर पर रोकना तथा राजेन्द्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश के वाद में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायधीशों सर्वश्री न्यायमूर्ति बी0आर0 कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति डी0ए0 देसाई ने सुनवाई के दौरान कहा, हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा भोग लेने के पश्चात् भी पूर्व की सजा का उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ और न ही ऐसा कोई प्रदर्शित हुआ कि वह अपने सहमानव के साथ हिंसक हो सकता है। इसी के साथ विशुन देव शा के वाद में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति चिन्नपा रेड्डी ने सुधारवादी सिद्धान्त भी मृत्यु के साथ नहीं अपितु जीवन के साथ संभव है। अतः उपर्युक्त दोनों वादों में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशगण सर्वश्री न्यायमूर्ति बी0आर0 कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति डी0ए0 देसाई तथा न्यायमूर्ति चिन्नपा रेड्डी द्वारा मृत्युदण्ड को परिणत कर आजीवन कारावास दिया गया। जबकि माननीय न्यायधीशगण ने सफेदपोश अपराध ने मृत्युदण्ड को अत्यावश्यक श्रेणी में रखा अतः भारतीय दंड संहिता के दाण्डिक प्रावधानों में संशोधन कर दिनोंदिन बढ़ते सफेदपोश अपराधों के लिए माननीय न्यायमूर्तिगण के विचारों को स्वीकारोक्ति का समय आ गया है। प्रस्तुत लेख के माध्यम से संक्षेप में कहने का प्रयास किया गया है कि दाण्डिक विधिक व्यवस्थाओं तथा संवैधानिक स्तर पर आवश्यक परिवर्तन कर पूर्व निर्धारित एवं स्थापित दाण्डिक व्यवस्थाओं को संशोधित कर सशक्त करने तथा आम जनमानस को प्रोत्साहित कर उनमें अप्रत्याशित रूप से सफेदपोश अपराध के विरूद्ध राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न करते हुए अनगिनत हत्याओं को जन्मित करने वाले सफेदपोश अपराधियों को कड़े से कड़े दाण्डिक प्रावधानों को लागू करते हुए समाज से पूर्ण रूपेण समाप्त किये जाने का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। निष्कर्ष रूप में स्पष्ट कह देना होगा कि भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों में संशोधन कर सफेदपोश अपराधों के लिए मृत्युदण्ड के स्थान पर कम से कम आजीवन कारावास का आवश्यक प्रावधान किया जाये।

निष्कर्ष

सफेदपोश अपराधिकता अब एक सामाजिक समस्या मात्र न रहकर विधिक समस्या भी बन गयी। वर्तमान व्यापारिक एवं व्यावसायिक स्पर्धा ही सफेदपोश अपराधों का मूल कारण है तथा कुछ लोग व्यवसायिक अवश्कताओं के कारण ही इन अपराधों को करते हैं। इन अपराधों के द्वारा समाज के मूल्यों तथा मान्यताओं की अनुभूति होती है जो उसकी संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है। सफेदपोश अपराधों के गहन विश्लेषणात्मक अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि इन अपराधों का परिणाम स्वरूप होने वाली वित्तीय हानि, चोरी, लूट, डकैती, गबन आदि जैसे सामान्य अपराधों से कई गुना अधिक होती है। डेविड ड्रेसलर के अनुसार समाज के विघटन की प्रक्रिया में भी सफेदपोश अपराधिकता के कारणों को खोजना उचित होगा।

उल्लेखनीय है कि भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है, रूढ़िगत अपराधों के साथ–साथ आर्थिक अपराधों में भारी वृद्धि हुई है। ये अपराध अधिकतर समाज के उच्च एवं मध्यम वर्ग के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जो वर्तमान औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा वैज्ञानिक प्रगति की उपज कहे जा सकते हैं। आधुनिक समय में लोगों में निरन्तर बढ़ती हुई भौतिकवादी प्रवृत्ति के कारण अधिक से अधिक धन कमाने की लालसा बढ़ती जा रही है और यह जीवन का अंतिम लक्ष्य बन चुका है। परिणामतः नैतिक मूल्यों का दिनोंदिन ह्रास होता जा रहा है और दुर्व्यपदेशन, भ्रष्टाचार, मुनाफाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट तथा करों का अपवर्जन आदि में व्यापार एवं व्यवसाय जगत की सामान्य तकनीकी का रूप धारण कर लिया है। ऐसी स्थिति में समाज में बढ़ती हुई सफेदपोश आपराधिकता के प्रति उदासीनता बरतने के बजाये जनता के सक्रिय सहयोग

एवं भागीदारी से इनका निवारण किया जाना ही एकमात्र प्रभावी उपाय है जिसमें कानून सहायक भूमिका निभा सकता है।

महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के प्लेटिनम जयंती समारोह को सम्बोधित करते हुए प्रस्तुत किये गये विचारों को यहाँ प्रस्तुत करना प्रासंगिक ही होगा [22] –

सफेदपोश अपराधों में आडिटरों की भूमिका पर सवाल उठना स्वाभाविकः कोविंद – राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चार्टर्ड एकाउंटेंट को लोक भरोसे का प्रहरी करार देते हुए कहा कि सफेदपोश अपराध होते हैं तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि बैलेंस शीट की आडिटिंग करने वालों ने अपना कर्तव्य सही ढंग से निभाया या नहीं।

बढ़ते सफेदपोश अपराधों व बैंक धोखाधड़ी मामलों के बीच उन्होंने कहा कि समझदारी भरी कर योजना, कर भुगतान से बचने और कर चोरी के बीच स्पष्ट अन्तर रेखा है जो इन चीजों को अलग करती है और चार्टर्ड एकाउंटेंट उस "स्पष्ट रेखा" के "संरक्षक" हैं। कोविंद ने चार्टर्ड एकाउंटेंट को करदाताओं व कराधान प्रणाली का सहयोगी तथा लोक भरोसे का प्रहरी बताते हुए कहा कि किसी भी मामले में "कर प्रणाली उतनी ही जटिल है जितना आप उसे बनाना चाहते हैं।"

बैंक घोटालों, बड़े कर्जदारों के भागने तथा प्रवर्तकों द्वारा धन के गबन की घटनाओं का जिक्र करते हुए कोविंद ने इसे "विश्वास भंग" का नमूना बताया। उन्होंने कहा कि सफेदपोश अपराधों का एक परिणाम टूटे हुए दिल और टूटा हुआ भरोसा भी होता है। उन्होंने कहा कि जब इस तरह का घटनाक्रम होता है तो आत्मविश्लेषण की जरूरत होती है। उन्होंने कहा, "ऐसे मौकों पर यह पूछना उचित होगा कि बैलेंस शीट को ऑडिट करने की जिम्मेदारी रखने वालों ने अपनी डयूटी ठीक से निभायी या फिर उन्होंने खेदजनक स्थिति पैदा की है।" राष्ट्रपति ने निष्पक्ष कर प्रणाली के अनुपालन पर जोर देते हुए कहा कि इसका आशय सरकार को राजस्व देने से कहीं अधिक है।

पूर्व राष्ट्रपति डॉ0 सर्वपल्ली राधा कृष्णन के अनुकरणीय विचार – इस अवसर पर अनगिनत हत्यायें कर समाज को खोखला करने वाले सफेदपोश अपराध को समूल उखाड़ फेंकने के दूरगामी दृष्टिकोण को अपनाते हुए विशुद्ध समाज को स्थापित रखने की सशक्त परिकल्पना स्वरूप पूर्व राष्ट्रपति स्व0 डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा इस संदर्भ में उल्लिखित विचार उदृत किया जाना प्रासंगिक ही होगा –

"जमाखोरी, कालाबाजारी, या सट्टाखोरी जैसे सफेदपोश एवं सामाजिक, आर्थिक अपराधों में लिप्त अपराधी देश के लिए सबसे घातक शत्रु हैं तथा उनके विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए भले ही वे कितने ही प्रतिष्ठित या प्रभावी व्यक्ति क्यों न हों। यदि इन्हें दंडित किये बिना छोड़ दिया जाता है तो लोगों का न्याय के प्रति विश्वास उठ जायेगा। इन अपराधियों को जो कि समाज के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं, आजीवन कारावास और यहाँ तक कि मृत्युदण्ड भी दिया जाना चाहिए ताकि लोग ऐसे अपराधों से परावृत्त रहें।"[23]

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *गोपाल उपाध्याय द्वारा लिखित "अपराध शास्त्र एवं दण्ड प्रशासन" प्रकाशक सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स 107, दरभंगा कैसल*
2. *गोपाल उपाध्याय द्वारा लिखित "अपराध शास्त्र एवं दण्ड प्रशासन" प्रकाशक सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स 107, दरभंगा कैसल इलाहाबाद पृष्ठ संख्या 63–64 से उदृत*
3. *गोपाल उपाध्याय द्वारा लिखित "अपराध शास्त्र एवं दण्ड प्रशासन" प्रकाशक सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स 107, दरभंगा कैसल इलाहाबाद पृष्ठ संख्या 65 से उदृत*
4. *गोपाल उपाध्याय द्वारा लिखित "अपराध शास्त्र एवं दण्ड प्रशासन" प्रकाशक सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स 107, दरभंगा कैसल इलाहाबाद पृष्ठ संख्या 65 से उदृत*
5. *डॉ0 मुरलीधर चतुर्वेदी द्वारा लिखित, "अपराध शास्त्र एवं दण्ड शास्त्र" के पृष्ठ संख्या 205–207 से उदृत। प्रकाशक इलाहाबाद लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन्स 10 सर पी0सी0 बनर्जी रोड, इलाहाबाद–2*
6. *गोपाल उपाध्याय द्वारा लिखित "अपराध शास्त्र एवं दण्ड प्रशासन" प्रकाशक सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स 107, दरभंगा कैसल इलाहाबाद पृष्ठ संख्या 65 से उदृत*
7. *गोपाल उपाध्याय द्वारा लिखित "अपराध शास्त्र एवं दण्ड प्रशासन" प्रकाशक सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स 107, दरभंगा कैसल इलाहाबाद पृष्ठ संख्या 66 से उदृत*
8. *गोपाल उपाध्याय द्वारा लिखित "अपराध शास्त्र एवं दण्ड प्रशासन" प्रकाशक सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स 107, दरभंगा कैसल इलाहाबाद पृष्ठ संख्या 66 से उदृत*
9. *गोपाल उपाध्याय द्वारा लिखित "अपराध शास्त्र एवं दण्ड प्रशासन" प्रकाशक सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स 107, दरभंगा कैसल इलाहाबाद पृष्ठ संख्या 67 से उदृत*
10. *गोपाल उपाध्याय द्वारा लिखित "अपराध शास्त्र एवं दण्ड प्रशासन" प्रकाशक सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स 107, दरभंगा कैसल इलाहाबाद पृष्ठ संख्या 67 से उदृत*
11. *गोपाल उपाध्याय द्वारा लिखित "अपराध शास्त्र एवं दण्ड प्रशासन" प्रकाशक सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स 107, दरभंगा कैसल इलाहाबाद पृष्ठ संख्या 66 से उदृत।*
12. *गोपाल उपाध्याय द्वारा लिखित पुस्तक " "अपराध शास्त्र एवं दण्ड प्रशासन" प्रकाशक सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स 107, दरभंगा कैसल इलाहाबाद पृष्ठ संख्या 68 से 69 से उदृत।*
13. *गोपाल उपाध्याय द्वारा लिखित पुस्तक " "अपराध शास्त्र एवं दण्ड प्रशासन" प्रकाशक सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स 107, दरभंगा कैसल इलाहाबाद पृष्ठ संख्या 69 से उदृत।*
14. *गोपाल उपाध्याय द्वारा लिखित पुस्तक " "अपराध शास्त्र एवं दण्ड प्रशासन" प्रकाशक सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स 107, दरभंगा कैसल इलाहाबाद पृष्ठ संख्या 70 से उदृत।*
15. *लेखक यशपाल सिंह (आई0पी0एस0) पुलिस महानिदेशक (सेवानिवृत्त) उ0प्र0 पुलिस लखनऊ द्वारा लिखित "आपराधिक विवेचना" सूत्र एवं युक्ति 2017*

के पृष्ठ संख्या 291 से उदृत, एलिया लॉ एजेन्सी 1 महात्मा गांधी मार्ग, हाईकेर्ट के सामने इलाहाबाद–211001

16. *गोपाल उपाध्याय द्वारा लिखित पुस्तक " "अपराध शास्त्र एवं दण्ड प्रशासन" प्रकाशक सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स 107, दरभंगा कैसल इलाहाबाद पृष्ठ संख्या 70–71 से उदृत।*
17. *गोपाल उपाध्याय द्वारा लिखित पुस्तक " "अपराध शास्त्र एवं दण्ड प्रशासन" प्रकाशक सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स 107, दरभंगा कैसल इलाहाबाद पृष्ठ संख्या 70–71 से उदृत।*
18. *गोपाल उपाध्याय द्वारा लिखित पुस्तक "अपराध शास्त्र एवं दण्ड प्रशासन" प्रकाशक सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स 107, दरभंगा कैसल इलाहाबाद पृष्ठ संख्या 64 से उदृत।*
19. *गोपाल उपाध्याय द्वारा लिखित पुस्तक "अपराध शास्त्र एवं दण्ड प्रशासन" प्रकाशक सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स 107, दरभंगा कैसल इलाहाबाद पृष्ठ संख्या 67 से उदृत।*
20. *गोपाल उपाध्याय द्वारा लिखित पुस्तक "अपराध शास्त्र एवं दण्ड प्रशासन" प्रकाशक सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स 107, दरभंगा कैसल इलाहाबाद पृष्ठ संख्या 71 से उदृत।*
21. *गोपाल उपाध्याय द्वारा लिखित पुस्तक "अपराध शास्त्र एवं दण्ड प्रशासन" प्रकाशक सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स 107, दरभंगा कैसल इलाहाबाद पृष्ठ संख्या 72 से उदृत।*
22. *दैनिक राष्ट्रीय सहारा 2 जुलाई 2018 के पृष्ठ संख्या 9 पर प्रकाशित समाचार से उद्घृत*
23. *गोपाल उपाध्याय द्वारा लिखित पुस्तक "अपराध शास्त्र एवं दण्ड प्रशासन" प्रकाशक सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स 107, दरभंगा कैसल इलाहाबाद पृष्ठ संख्या 72 से उदृत।*